80

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल मंडल ग्वालियर म0प्र0

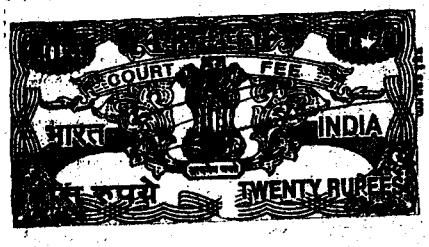

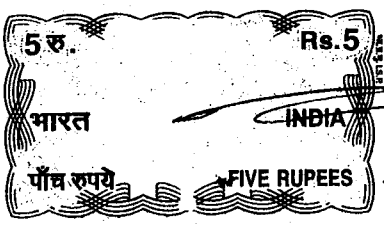

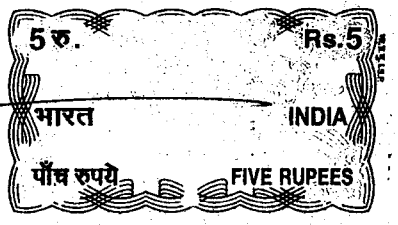

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 264-III/17

दिनेश कुमार पिता रामलाल तिवारी निवासी ग्राम पटना, तहसील रायपुर कचुलियान ,जिला रीवा म0प्र0

श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा आज दि. 20-1-17 को प्रस्तुत

20-1-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

------------------- रिवीजन कर्ता

बनाम

1. शासन म0प्र0

2.तत्कालीन सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत ग्राम पटना, तहसील रायपुर कचुलियान ,जिला रीवा म0प्र0

3.तत्कालिक पटवारी ,पटवारी हल्का पटना तह0 रायपुर कचुलियान जिला रीवा म0प्र0

4. हर प्रसाद पिता ईश्वरदीन तिवारी निवासी ग्राम पटना, तहसील रायपुर कचुलियान ,जिला रीवा म0प्र0 (अब मृत)

राजेन्द्रकुमार राकेश कुमार मिश्र एडवोकेट

रिवीजन विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016 न्या0 कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्र0 13/अ–74/स्व0निगरानी/ 2015–2016

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यह कि हर प्रसाद पिता ईश्वरदीन तिवारी निवासी ग्राम पटना तहसील रायपुर कचुलियान ,जिला रीवा म0प्र0 जो पुनरीक्षण कर्ता के सगे बाबा थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 03.02.2002 को हो चुका है, जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दिये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0 हर प्रसाद का नाम प्रकरण से काटकर आदेश पारित किया है। स्व0 हर प्रसाद को अनावेदक बनाकर उनका नाम विलोपित किये जाने का आवेदन निगरानी के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 264–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर,
4–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्र0 क0 13/अ–74/स्व0निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.12.16 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि हर प्रसाद पिता ईश्वरदीन तिवारी निवासी ग्राम पटना तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा जो निगरानीकर्ता है उसके सगा बाबा थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 3.2.02 को हो चुका हे जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दिये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0 हर प्रसाद का नाम प्रकरण से नाम काटकर आदेश पारित किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के पत्र कमांक 423/आ0का0/2016 दिनांक 16.2.2016 के अनुसार	

कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदन दिया कि ग्राम पटना तहसील रायपुर कर्चु0 आराजी खसरा कमांक 268/रकवा 1.020 है0 का खसरा वर्ष 1984—85 में श्री मूर्ति हनुमान जी व मूर्ति शंकर के स्वामित्व में दज्र अभिलेख हैं मंदिर के पूजा पाठ कार्यो के कारण हरप्रसाद तनय ईश्वरदीन का नाम प्रबंधन के रूप में लेख है जो भूमिस्वामित्व हैसियत प्रदान नहीं करता क्यों कि भूमिस्वामी हैसियत मूर्ति श्री हनुमान जी व श्री शंकर जी लेख है परन्तु शपथ पत्र के आधार नामांतरण पंजी द्वारा किया गया नामांतरण को अनियमित व अवैधानिक मानकर स्वमेव निगरानी के आधार पर 15 वर्ष पश्चात प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी कमांक 268 रकवा 1.020 है0 श्री मूर्ति हनुमान जी व मूर्ति शंकर के स्वामित्व में दज्र होने के पहले अधिकार अभिलेख निगरानी कर्ता के पूर्वजों की भूमि थी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3— शासन के पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विविादित भूमि पर श्री हनुमन जी एवं श्री शंकर जी की मूर्ति स्थापित हैं और उन्हीं के नाम यह भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दी गई है और

यह कलेक्टर महोदय द्वारा मान्य की गई है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज़ों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि चालू खसरे में श्री मूर्ति हनुमान जी शंकर जी के नाम भूमि स्वामित्व में ग्राम पटना की भूमि खसरा कमांक 268 रकवा 1.020 है0 में अभिलिखित है। मूर्ति के नाम स्वामित्व अभिलिखित होने की दशा में भले ही राजस्व विभाग द्वारा त्रुटिवश प्रबंधक कलेक्टर अभिलिखित नहीं किया गया है किन्तु फिर भी मूर्ति के नाम भूमि होने पर बिना कलेक्टर की अनुमति से रिकार्ड में कुछ भी हेरा फेरी करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इश्तहार का प्रकाशन विधि अनुसार नहीं किया है जिससे कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा के प्र0 क0 13/अ–74/स्व0निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुतनिगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य